भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2473
दिनांक 10 दिसंबर, 2024/ 19 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

†2473. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लद्दाख के लोगों द्वारा लम्बे समय से भोटी और पुरीक भाषाओं को संविधान की आठंवी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है और ये उनकी समुचित मांग है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लद्दाख की दो महत्वपूर्ण भाषाओं भोटी और पुरीक को आठवीं अनुसूची में शीघ्र ही शामिल करने का है; और
(ग) यदि हां, तो उक्त भाषाओं को आठवीं अनुसूची में कब तक शामिल किये जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भोटी सहित, समय-समय पर संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को शामिल करने की मांग उठती रही है। हालाँकि, किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं। चूंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से इस तरह के निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्वगामी प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबन्धित भावनाओं और आवश्यकताओं के प्रति सचेत है। इस तरह के अनुरोधों पर इन भावनाओं और अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है। चूंकि किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किए जाने हेतु कोई निश्चित मानदंड वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं, इसलिए संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

*****